राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नं.:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एच–148/92)/अलेसे–III/5537-45 दिनांक :– 11/03/25

कार्यालय आदेश

श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार तत्कालीन कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड प्रथम सीएडी, कोटा को थानाधिकारी, पुलिस थाना, महावीर नगर, कोटा नगर, कोटा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 110/17.02.2012 के अंतर्गत धारा 143, 323, 327, 354, 365 एवं 452 आई.पी.सी. में प्रकरण दर्ज होने पर दिनांक 01.05.2012 को 48 घण्टे से अधिक पुलिस हिरासत/न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के कारण थानाधिकारी पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा नगर के द्वारा प्रेषित पत्र/दुराचरण रिपोर्ट क्रमांक 7679–80 दिनांक 04.06.2012 के आधार पर दिनांक 01.05.2012 से निदेशालय के आदेश संख्या 3041–3046 दिनांक 28.06.2012 द्वारा निलम्बित किया गया था। कार्यालय आदेश क्रमांक 12068–77 दिनांक 16.11.2015 के द्वारा श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता को निलम्बन से बहाल कर निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रखा गया।

उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.12.2024 के अनुसार " अभियुक्तगण श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल को अपराध अन्तर्गत धारा 147,323,342 IPC के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण (प्रत्येक) एक वर्ष की अवधि के लिए दस हजार रूपये की राशि की ज़मानत व इसी राशि का स्वयं का बंध पत्र इस आशय का न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करा देवे कि उक्त अवधि के दौरान शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर दण्ड भुगतने हेतु उपस्थित हो जावेगा तो उसे परीविक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही अभियुक्तगण (प्रत्येक) पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय के रूप में 2,500 रूपये (कुल 10,000/–) अधिरोपित किये जाते हैं। अभियोजन राशि जमा होने पर अभियोजन राशि बाद गुजरने मियाद अपील परिवादी को अदा की जावे। अभियुक्तगण द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया कि पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया व पूर्व में प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया गया हैं। **अतः अभियुक्तगण को धारा 12 परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण इस दोषसिद्धि से किसी प्रकार की निर्योग्यता से ग्रसित नहीं होगें।**"

श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित/प्रस्तावित नहीं हैं।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I के नियम 54 के अन्तर्गत श्री गुप्ता की निलम्बन अवधि के भुगतान किये गए निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगे तथा निलम्बन अवधि को देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना योग्य माना जावेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव
दिनांक :– 11/03/25

क्रमांक : एफ.4(ई)(एच–148/92)/अलेसे–III/5537-45

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, कोटा।
3. उपनिदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
4. श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषालय, कोटा।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
9. संस्थापन अनुभाग।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

F:\JRA,AAO-II old dealing data\letter.docx126